

न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,गोहद जिला भिण्ड
मध्यप्रदेश
पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

प्रकरण कमांक 08/2014मु0फो0सक्सेशन
संस्थापित दिनांक 30.06.2014

जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति सिक्ख
निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरा चक खनेता
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... आवेदक

बनाम

सर्वसाधारण

..... अनावेदक

::— आ दे श —::

(आज दिनांक 24/11/14 को पारित किया)

1. इस आदेश के द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. आवेदक का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार हैकि सोहन सिंह पुत्र सौदागर सिंह निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरा चक खनेता की स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम चक खनेता परगना गोहद में स्थित है। जिसके सर्वे क.383 रकवा 0.33,392 रकवा0.45,362 रकवा 0.47,589 रकवा 0.49,कुल किता—4 कुल रकवा 1.74,यानी 08 बीघा 14 विस्वा है। सोहनसिंह की दिनांक 17/6/09 को उनके ग्रह निवास पर मृत्यु हो चुकी है उपरोक्त भूमि बाबत मृतक सोहन सिंह द्वारा मुझ आवेदक के हित में वसीयतनामा विधिवत सम्पादित कर पंजीकृत कराया है। वसीयतनामे में उक्त भूमि मे मुझ भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी होकर राजस्व कागजात में नामान्तरण कराने का अधिकारी घोषित किया गया है। इसहेतु उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (प्रोवेट)की आवश्यकता है। मृतक ग्राम मोती सिंह का पुरा चक खनेता परगना गोहद का मूल निवासी था और कृषि

भूमि ग्राम चक खनेता परगना गोहद में स्थित है इसलिये आवेदक के पक्ष में इस आशय का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किया जावे कि सर्वे क.383 रकवा 0.33,392 रकवा 0.45,362 रकवा 0.47,389 रकवा 0.49, कुल किता-4 कुल रकवा 1.74 हेक्टेयर यानी 08 बीघा 14 विस्वा स्थित मौजा चक खनेता परगना गोहद पर मृतक के स्थान पर राजस्व कागजातों में वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण कराने का अधिकारी घोषित किया जाकर उत्तराधिकारप्रमाण पत्र जारी किया जावे।

4. प्रकरण में सर्व साधारण को दैनिक समाचारपत्र नई दुनिया के माध्यम से एक जुलाई 2014 को सूचनापत्र जारी किया गया लेकिन सर्व साधारण की ओर से कोई भी आपत्तिकर्ता उपस्थित न होने के कारण सर्व साधारण के विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-
क्या आवेदक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

6. प्रकरण में आवेदक की ओर से जसवंत आ0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि मृतक सोहन सिंह पुत्र सौदागर सिंह जाति सिख निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरा चक खनेता के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि चक खनेता परगना गोहद में स्थित है जिसके सर्वे कमांक 383 रकवा 0.33,392 रकवा 0.45,362 रकवा 0.47,589 रकवा 0.49, कुल किता-4 कुल रकवा 1.74 यानी 08 बीघा 13 विस्वा है। सोनसिंह की दिनांक 17/6/09 को उनके निवास ग्रह पर मृत्यु हो चुकी है सोहनसिंह ने मृत्यु के पूर्व आवेदक के हक में उपरोक्त भूमि का वसीयतनामा विधिवत लिखकर पंजीकृत कराया है और उस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। वसीयतनामों में उक्त भूमि का आवेदक भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी होकर सरकारी कागजात में अपने नाम का नामान्तरण कराने का अधिकारी है।

7. साक्षी के द्वारा अपने पक्ष समर्थन में वसीयतनामा की प्रति प्रस्तुत की है जो प्र0पी01 की है जिसकी छाया प्रति प्र0पी01सी की है मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति पेश की गई है। खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके द्वारा पेश की गई है। वसीयतनामा के अवलोकन से यह दर्शित होता हैकि सोनसिंह पुत्र सौदागरसिंह द्वारा जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह के हक में दिनांक 4/5/06 को उक्त सर्वे नम्बरों के संबंध में वसीयत निष्पादित कर आवेदक को उक्त भूमि का भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किया है।

8. बाबूसिंह आ0सा02 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि सोहन सिंह पुत्र सौदागर सिंह निवासी ग्राम मोती सिंह का पुरा ने वसीयतनामा दिनांक 4/5/06 को उसके सामने लिखकर

पढकर अपने हस्ताक्षर किये थे तथा साक्षी व रक्षपाल सिंह ने अपने अपने गवाहों के हस्ताक्षर किये थे तथा उप पंजीयक कार्यालय में वसीयतनामा रजिस्टर्ड कराया था। वसीयतनामा प्र0पी01 के एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता है कि उसके सामने सोहनसिंह द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया है।

9. नरेश कुमार सक्सेना आ0सा03 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि वह न्यायालय गोहद में अभिभाषक का कार्य करता है सोहनसिंह पुत्र सौदागर सिंह, मोती सिंह के पुरा चक खनेता से आज से 07,08 साल पहले उसके पास आकर अपने पुत्र जसवंत सिंह के नाम से अपने स्वामित्व की कृषि भूमि का वसीयतनामा साक्षी से लिखवाया था जो सर्वे नं.सोहन सिंह के द्वारा बताये गये थे उसी को उसने लिखवाया था तथा वसीयतनामा पढवाकर सुनाया उसके बाद अपने हस्ताक्षर किये थे। बाबूसिंह व रक्षपाल के द्वारा गवाही के अपने हस्ताक्षर किये थे वसीयतनामा उसने टाईप करके वसीयतनामा पर अपने हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता है कि साक्षी के द्वारा वसीयतनामा सोहन सिंह के कहने से टाईप किया है। जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10. प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज पूर्णतः अखण्डित अवस्था में विद्यमान है। साक्षी के कथनों का खण्डन किसी भी दृष्टिकोण से नहीं किया गया है जिसका कारण आपत्तिकर्ता अनुपस्थित होना दर्शित होता है क्योंकि आपत्तिकर्ता के अनुपस्थित होने के कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज पूर्णतः अखण्डित अवस्था में विद्यमान है।

11. प्रकरण में आवेदक की ओर से धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहा है। चूंकि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र ऋण व प्रतिभूतिया एवं निश्चित धनराशि के संबंध में जारी किया जाता है। जबकि आवेदक द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (प्रोवेट) के लिये प्रमाणपत्र की मांग की है। जबकि इस न्यायालय को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड की ओर से कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के भाग-10 के अनुसार प्राप्त प्रार्थनापत्रों के निराकरण की अधिकारता प्रदान की है। इस न्यायालय को प्रोवेट जारी करने की अधिकारता नहीं है इसलिये यह न्यायालय आवेदक के पक्ष में प्रोवेट जारी नहीं कर सकता है। जहां तक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का प्रश्न है वह किसी निश्चित धनराशि एवं ऋण व प्रतिभूतियों के लिये जारी किया जाता है लेकिन इस प्रकरण में आवेदक द्वारा कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहा है जिसकी सहायता आवेदक को प्रदान नहीं की जा सकती है।

12. यह न्यायालय प्रोवेट न्यायालय नहीं है इसलिये आवेदक के पक्ष में प्रोवेट जारी नहीं किया जा सकता है जहां तक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का प्रश्न है वह निश्चित धन राशि व ऋण व प्रतिभूतियों के लिये जारी किया जा सकता है कृषि भूमि के संबंध में जारी नहीं किया जा सकता । अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 372 का निरस्त किया जाता है ।

13. प्रार्थनापत्र का व्यय आवेदक स्वयं बहन करेगा ।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर पारित किया गया मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्तासही
व्य0न्या0वर्ग-1गोहद

हस्तासही
व्य0न्या0वर्ग-1गोहद

